न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी, कुणाल राहड़, आर0ए0एस0

पत्रावली आवेदन–पत्र संख्या : 04/2024
जी0सी0एम0एस0 नं0 –2024/103

उनवान– महेन्द्र सिंह बनाम सुरजी आदि

आवेदन–पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 07 व 151 सीपीसी बाबत पत्रावली पुनः नम्बर पर लिये जाने।

:: आदेश ::

दिनांक :– 7/4/25

पत्रावली वास्ते निर्णय आवेदन–पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 07 व 151 सीपीसी पेश हुई। प्रार्थी/वादी ने आवेदन पेश कर निवेदन किया है कि उसने एक दावा बाबतम बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बउनवानी महेन्द्र सिंह बनाम सुरजी देवी आदि न्यायालय हाजा में पेश किया था, जिसमें दिनांक 02.02.2024 वास्ते इंतजार बंटवारा प्रस्ताव नियत थी। उस दिन वह स्वंय उपस्थित नहीं हो सका तथा न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु आवाज होने पर अधिवक्ता प्रार्थी अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण हाजिर अदालत नहीं आ सका। इस कारण पत्रावली अदम हाजरी पैरवी में खारिज कर दाखिल दफतर कर दिया गया। इस कारण प्रार्थी के विधिक अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। पक्षकार की उपरोक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं रही है। प्रार्थी की विधित पत्रावली पुनः नंबर पर नहीं ली जाती है तो प्रार्थी के विधिक एंव कानूनी अधिकारों पर कुठाराघात होगा एंव प्रार्थी के साथ न्याय नहीं हो सकेगा। इसलिए उक्त विधिक पत्रावली को पुनः नम्बर पर लिया जाकर पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी/वादी ने आवेदन पेश कर माननीय न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2024 को पुनः नंबर पर लिये जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया है।

आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अप्रार्थी सं0 34 व 36 जरिये वकील उपस्थित आए। अप्रार्थी सं0 34 व 36 द्वारा जवाब आवेदन पेश नहीं किये जाने पर दिनांक 03.04.25 को जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एंव आवेदन–पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 07 व 151 सीपीसी बाबत पत्रावली पुनः नम्बर पर लिये जाने का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार कर पत्रावली को पुनः नम्बर पर लिया जाकर पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाने हेतु निवेदन किया गया है, जबकि वकील अप्रार्थी सं0 34 व 36 ने आवेदन पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सं0 79/2014 बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बउनवानी महेन्द्र सिंह बनाम सुरजी देवी आदि न्यायालय हाजा में वास्ते इंतजार बंटवारा प्रस्ताव में विचाराधीन चल रही थी, दिनांक 02.02.24 को वकील वादी एंव वादी स्वंय हाजिर नहीं आने पर वादी के वाद को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया गया था। प्रार्थी द्वारा आवेदन–पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 07 व 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया गया है कि उस दिन वह स्वंय उपस्थित नहीं हो सका तथा न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु आवाज होने पर अधिवक्ता प्रार्थी अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण हाजिर अदालत नहीं आ सका। इस कारण पत्रावली अदम हाजरी पैरवी में खारिज कर दाखिल दफतर कर दिया गया, जिससे प्रार्थी के विधिक अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। प्रार्थी की विधित पत्रावली पुनः नंबर पर नहीं ली जाती है तो प्रार्थी के विधिक एंव कानूनी अधिकारों पर कुठाराघात होगा एंव प्रार्थी के साथ न्याय नहीं हो सकेगा। "न्याय के नैसंर्गिक सिंद्धान्त" को मध्यनजर रखते हुए पत्रावली को पुनः नम्बर पर लिया जाकर पक्षकार को सुनवाई हेतु समुचित अवसर दिया जाना न्यायालय न्यायहित में न्यायोचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 07 व 151 सीपीसी बाबत पत्रावली पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.24 को निरस्त किया जाकर पत्रावली को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबरसे कम हो।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर

Scanned with CamScanner